

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /19, लखनऊ:: दिनांक : : 11 :: अप्रैल:-2019,

--: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-468/19 दिनांक 11.03.2019 द्वारा दिनांक 22.04.2019 से 27.04.2019 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम व पीठ-द्वितीय, गाजियाबाद के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3 वाराणसी (न्यायिक) एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, गाजियाबाद (विभागीय) को सम्मिलित करते हुए गाजियाबाद में खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, वाराणसी (न्यायिक) का स्थानान्तरण, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या-1349/Admin.(Services) 2019 दिनांक इलाहाबाद: अप्रैल-10, 2019 द्वारा बढ़ाये हो जाने के कारण उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए "सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 वाराणसी" के स्थान पर "सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-अलीगढ़ को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-11.04.19

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ 645 /2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-अलीगढ़।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2, गाजियाबाद।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।